एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 160 / 2006

आवेदक (प्रस्तावित अभियुक्त) :

अंगूरी देवी, पति वेद प्रकाश, आयु 60 वर्ष, जाति-अग्रवाल, निवासी लुडेग, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) (प्रस्तावित अभियुक्त)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनावेदकगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दण्डाधिकारी, जशपुर (छ.ग.)
   (अभियोजन)
2. राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, पिता रामचन्द्र अग्रवाल, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)
   (परिवादी)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका, जो अपर सत्र न्यायाधीश, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 20/2005 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 113/2003 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2005 से उद्भूत है, जिसके द्वारा

अभियोजन पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में जोड़ने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया है।

निर्णय

(दिनांक 3.11.2006)

आवेदक की ओर से श्री ए.के. प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री संजय एस. अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के अनुरोध पर, इस विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 160/2006 की अंतिम सुनवाई ग्राह्यता के स्तर पर की जा रही है।

यह विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 160/2006 अपर सत्र न्यायाधीश, जशपुर द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 20/2005 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2006 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जशपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 113/2003 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2005 की पुष्टि की गई है, जिसमें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2005 को प्रस्तुत आवेदन पर, वर्तमान आवेदक अंगूरी देवी को अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाने का आदेश दिया था।

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 07.10.2002 को, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने थाना पत्थलगांव में हरकेश, दिनेश, राकेश और वर्तमान आवेदक अंगूरी देवी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अंगूरी देवी ने राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल के साथ मारपीट में भाग लिया था और वह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित थी। घटनास्थल पर अंगूरी देवी की उपस्थिति गोपी राम के केस डायरी कथन से भी पुष्ट होती है, यद्यपि उसने कथन किया था कि वह उपस्थित थी अपराध कारित करने में उसकी सहभागिता नहीं थी। अपने साक्ष्य में, परिवादी राजेन्द्र परंतु प्रसाद अग्रवाल (अभि .सा.-1) ने कण्डिका 2 में अभिसाक्ष्य दिया था कि घटना के दौरान अंगूरी देवी घटनास्थल पर आई, उसने उसका दायां हाथ पकड़ लिया जबकि दिनेश ने उसका बायां हाथ पकड़ा और उसके पश्चात राकेश ने उस पर 'लाठी' से हमला किया। प्रतिपरीक्षण में यह कथन पूर्णतः अखण्डित रहा। राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया जिससे यह दर्शित हो कि अंगूरी देवी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी आधार पर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2005 को प्रस्तुत आवेदन पर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने दिनांक 02.08.2005 को आदेश पारित कर अंगूरी देवी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है क्योंकि विवेचना की समाप्ति के पश्चात पुलिस ने गोपी राम के कथन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि अंगूरी देवी ने अपराध कारित करने में भाग नहीं लिया था और इसलिए उसे अभियुक्त के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि केवल राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल के कथन के आधार पर अंगूरी देवी को अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाना पूर्णतः विधि विरुद्ध था और मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन निहित अधिकारिता के अतिक्रमण में था। इसके विपरीत, श्री संजय एस. अग्रवाल ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात, मेरा यह सुविचारित मत है कि यह विविध दाण्डिक याचिका किसी भी गुण-दोष से रहित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गिरीश यादव एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य, ए.आई.आर.**

1996 सुप्रीम कोर्ट-3098 के प्रकरण की कण्डिका 9 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

> "एक बार जब यह पाया जाता है कि घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिससे पुलिस तंत्र सक्रिय हुआ और उसने तत्काल घटनास्थल पर अन्वेषण शुरू की, तो यह माना जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु वास्तव में जो घटा था और प्रश्नगत अपराध के लिए जो उत्तरदायी थे, उसका प्रथम दृष्टया विवरण प्रतिबिंबित करती है।"

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अंगूरी देवी का नाम राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल द्वारा दिनांक 07.10.2002 को दर्ज कराई गई त्वरित प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित था। इससे अपराध कारित करने में अंगूरी देवी की संलिप्तता दर्शित होती है। बाद में विचारण न्यायालय के समक्ष अपने परिसाक्ष्य में, उसने पुनः उल्लेख किया कि अंगूरी देवी ने अपराध कारित करने में भाग लिया और उसका दायां हाथ पकड़ा था जबकि राकेश ने उस पर 'लाठी' से प्रहार किया। प्रतिपरीक्षण में अंगूरी देवी की घटनास्थल से अनुपस्थिति के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस स्थिति को देखते हुए, चूंकि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल द्वारा दर्ज त्वरित प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंगूरी देवी के नाम का उल्लेख था और इस तथ्य की संपुष्टि न्यायालय में उसके अखण्डित परिसाक्ष्य द्वारा की गई,

इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, जशपुर ने आवेदक को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाने के आदेश की पुष्टि करने में कोई तात्त्विक अनियमितता बरती है या विधि की कोई प्रत्यक्ष त्रुटि की है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अधीनस्थ न्यायालयों ने उनमें निहित अधिकारिता के परे कार्य किया है।

तदनुसार, यह विविध दाण्डिक याचिका गुण-दोष रहित होने के कारण प्रवेश के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

तदानुसार, स्थगन प्रदान करने हेतु प्रस्तुत विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 2373/2006 भी खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता./-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणःहिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु

प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur